3

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर – 192/2017 उनवान तन्नाराम उर्फ तनसुखराम बनाम सुरेश वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी
26.12.2018	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली का न्यायालय मत पर अवलोकन किया गया, पाया कि वादी द्वारा यह दावा दिनांक 27.12.2017 को विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती, खाता विभाजन, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। वकील वादी को प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्तों के अनुसार प्रतिवादीगण की तलबी पेश करने हेतु समुचित अवसर देते हुए आदेशिका दिनांक 17.05.2018 के द्वारा अवशेष प्रतिवादी न. 1, 2 व 4 से 15 व 17 से 22 एवं 24 की तलबी जरिये रजिस्टर्ड तलवाने से मय लिफाफा पेश करने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु वकील वादी द्वारा आदेश की पालना में प्रतिवादीगण की तामील पेश नही करना जाहिर है। किसी भी पक्षकार को न्यायालय के आदेश की पालना नही करने की अनुमति नही है। अतः वाद वादी आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. प्रावधानों के अन्तर्गत अदम तकमील में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उप खण्ड अधिकारी झुंझुनूं (राज.)	